राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
Email: - smsa.asfe@gmail.com

क्रमांक – रास्कूलशिप/जय/वै.एवं औ.शि./ /2019-20/ 7364 दिनांक– 7/11/19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

अति० जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

अति–आवश्यक

विषय – समग्र शिक्षा के अन्तर्गत संचालित ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना से ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 के पात्र बालक–बालिका तथा कक्षा 9 से 12 की पात्र/चयनित बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने वाले हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों की सूचना को अन्तिम रूप से जांचने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समग्र शिक्षा के अन्तर्गत बालक–बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में बनाये रखने हेतु राज्य एवं भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं समय–समय पर संचालित की जाती रही है। इसी क्रम में गत सत्रों की निरन्तरता में वर्तमान सत्र 2019–20 में भी ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 के पात्र बालक–बालिकाएं तथा कक्षा 9 से 12 की पात्र एवं चयनित बालिकाएं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट वाउचर का चयन किया है, को ट्रॉंसपोर्ट वाउचर से लाभान्वित किया जाना है। इस हेतु परिषद से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है।

अतः दिशा निर्देशों में वर्णित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए पात्र बच्चों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर अन्तिम रूप से जांच लेंवे। यदि किसी प्रकार की सूचना को सुधारने की आवश्यक प्रतीत होती है तो उसे दिनांक 15 नवम्बर, 2019 तक आवश्यक रूप से शाला दर्पण पोर्टल के सीबीईओ लॉगइन से विद्यार्थियों की सूचना अद्यतन करवाये। विदित रहे दिनांक 15 नवम्बर, 2019 के पश्चात ट्रांसपोर्ट वाउचर का डाटा लॉक कर दिया जायेगा।

आपको इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना अद्यतन नहीं होने की स्थिति में यदि पात्र विद्यार्थी ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना से वंचित रहता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदार आपकी रहेगी। अतः कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उक्त वर्णित तिथि तक पात्र बच्चों की सूचना को अद्यतन कर लेवे।

प्रोग्रामर जी
डी

(सीमा शर्मा)
उपायुक्त, वै०शि० / औ०शि०

क्रमांक – रास्कूशिप/जय/वैशि/2019–20/ट्रांसपोर्ट वाउचर/ 7364 दिनांक 7/11/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I व II), रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त को भेजकर लेख है कि जिला कार्यालय से सामन्जस्य स्थापित कर कार्य को पूर्ण करें।
5. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

उपायुक्त, वै०शि० / औ०शि०

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान sgnr
5057
7/11/19

CBEO
समस्त श्रीगंगानगर

मूल ही भेजकर लेख है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र बच्चों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर अन्तिम रूप से जांच लेवे। यदि किसी प्रकार की सूचना को सुधारने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसे दिनांक 15.11.19 तक CBEO लोगइन से अपडेट करवा लेवे। इस हेतु समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित करे।

ADPC समसा
श्रीगंगानगर

37

E:\Sh. Suresh Ku. Sir DD AS\M.S.Office\2019-20\Letter 2019-20.docx

Scanned by CamScanner